जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0दल0अधिकारी, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	विन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 विभाग द्वारा गाम पंचायत स्तर विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तरीय ग्रामीण 16 वर्षीय, बालक/ बालिका खेलकूद-प्रतियोगिता तथा खुली ग्रामीण पुरूष, खेलकूद प्रतियोगिता एवं महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर युवक/ महिला मंगल दलों का गठन, पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण कराकर सक्रिय युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की मांग के अनुसार चुनाव आदि में सुरक्षा व्यवस्था डयूटी पर तैनात किया जाता है।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और उसके अधीन ही कार्य सम्पन्न करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 अधिकारी /क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन / निरीक्षण किया जाता है। कार्यालय विकास भवन बिजनौर में स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जिला स्तर पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का पद सृजित है। जिसके नियन्त्रण में रहकर तृतीय श्रेणी एव चतुर्थ श्रेणी अधिकारी /कर्मचारी विभागीय कार्य सम्पादित करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 विभाग द्वारा जनपद बिजनौर में जिला युवा कल्याण अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तथा जनपद स्तरीय कार्यालय में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। कार्यालय द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली क अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन/ विभाग द्वारा दिये गये निर्दर्शों के अनुपालन में प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है ।

7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	इस कार्यालय द्वारा विभागीय तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समितियां जिसमें जनप्रतिनिधि भाग लेते है। उनसे विभागीय कार्यक्रमों/ योजनाओं को अनुमोदित कराया जाता है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मन्शा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियों की राय /सुझाव लिये जाते है। तदानुसार ही विभाग के कार्यक्रमों /योजनाओं का संचालन किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	इस विभाग के अधिकारी /कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों /अधिकारियों के मासिक तथा त्रैमासिक आंकडे /विवरण महा निदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल / विकास दल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	इस कार्यालय को बजट जिला सेक्टर योजना /राज्य सेक्टर योजना महा निदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है जिसका समचित उपभोग नियमानुसार करके प्रत्येक माह मासिक व्यय विवरण महा निदेशक प्रान्तीय रक्षक दल /विकास दल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में प्रेषित किया जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पनादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों को राज्य सेक्टर योजना से बजट आवंटन प्राप्त होने पर रू0 2000/– प्रतिदल युवक/ महिला मंगल दल की दर से सक्रिया पंजीकृत युवक /महिला मंगल दलां को उपलब्ध कराया जाता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	शासन/ विभाग के निर्देशानुसार युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित किया जाता ह तथा जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण खेलों की खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न कराई जाती है।

14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	इस कार्यालय द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है तथा आवश्यकतानसार प्रिन्ट मीडिया से प्रसार –प्रचार कराया जाता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी श्री चन्द्रसैन जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, बिजनौर (कार्यालय विकास भवन बिजनौर)

(चन्द्रसैन)
जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0वि0दल0 अधिकारी
बिजनौर।